दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

NO.P(PC)524/VII - CPC/Allowances

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 11-08-2017

आर बी ई सं/RBE No. 84 / 2017 **पी बी सी सं/ PBC No.126 / 2017**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units, etc.,

(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Revision of rates of Daily Allowance to Railway Employees on tour.

*****

A copy of Railway Board letter No. F(E)I/2017/AL-28/40 dt. 08-08-2017 (RBE No.84/ 2017) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

(V.Srinivasan)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA
The Genl Secy / NFIR

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

PC-VII No. 31
RBE No. 84/2017

No. F(E)I/2017/AL-28/40

New Delhi, dated 08.08.2017

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

Sub: Revision of rates of Daily Allowance to Railway employees on tour.

Consequent upon the decisions taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to Daily Allowance entitlements on Railways, the rates of Daily Allowance on tour as admissible to Railway employees may be revised as under:

7th CPC Level	Entitlement*
14 and above	Rs. 1200
12 and 13	Rs. 1000
9 to 11	Rs. 900
6 to 8	Rs. 800
5 and below	Rs. 500

*these Daily Allowance rates will go up by 25% every time the DA goes up by 50%.

2. The 'Pay Level' for determining the Daily Allowance entitlement is as indicated in the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016.

3. The term 'Pay' in the level for the purpose of these orders refer to Basic Pay drawn in appropriate Pay Level in the Pay Matrix as defined in Rule 3(8) of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 and does not include Non-Practising allowance (NPA), or any other type of pay like special pay etc.

4. However, if the Daily Allowance entitlements in terms of the revised entitlements now prescribed result in a lowering of the existing entitlements in the case of any individual, groups or classes of employees, the entitlements, particularly in respect of mode of travel, class of accommodation, etc., shall not be lowered. They will instead continue to be governed by the earlier orders on the subject till such time as they become eligible, in the normal course, for the higher entitlements.

5. The claims submitted in respect of journey made on or after 1st July, 2017, may be regulated in accordance with these orders. In respect of journeys performed prior to 1st July, 2017, the claims may be regulated in accordance with the previous orders dated 01.12.2008.

6. It may be noted that no additional funds will be provided on account of revision in Daily Allowance entitlements. It may therefore be ensured that permission to official travel is given judiciously and restricted only to absolutely essential official requirements.

7. **These orders shall take effect from 1st July, 2017.**

8. Hindi version will follow.

Please acknowledge receipt.

(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director Finance (Estt.)
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 31
आरबीई सं. 84/2017

सं. एफ(ई)I/2017/एएल-28/40

नई दिल्ली, दिनांक 08.08.2017

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: दौरे पर रेलवे कर्मचारियों के दैनिक भत्ते की दरों में आशोधन।

रेलों में दैनिक भत्ते की पात्रताओं के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप रेलवे कर्मचारियों को दौरे पर यथा अनुमेय दैनिक भत्ते की दरों में निम्नानुसार आशोधन किया गया है:

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के लेवल	पात्रता*
14 और उससे ऊपर	रु. 1200/-
12 एवं 13	रु. 1000/-
9 से 11	रु. 900/-
6 से 8	रु. 800/-
5 और उससे नीचे	रु. 500/-

* हर बार जब महंगाई भत्ते में 50% तक की वृद्धि होगी तो यह दैनिक भत्ते की दरें 25% बढ़ जाएंगी।

2. दैनिक भत्ता की पात्रता का निर्धारण करने के लिए 'वेतन लेवल', रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में दर्शाए गए अनुसार होगा।

3. इन आदेशों के प्रयोजन के लिए, लेवल में 'वेतन' शब्द का आशय रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(8) में यथा निर्धारित पे मैट्रिक्स में समुचित वेतन स्तर में लिए जा रहे मूल वेतन से है और इसमें प्रैक्टिसबंदी भत्ता अथवा किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे कि विशेष वेतन आदि शामिल नहीं होगा।

4. बहरहाल, यदि अब निर्धारित संशोधित पात्रताओं के अनुसार किसी कर्मचारी, कर्मचारियों के समूह अथवा श्रेणी के मामले में यात्रा भत्ते की पात्रता मौजूदा पात्रता से कम हो जाती है, विशेष रूप से यात्रा के साधन, एकोमोडेशन की श्रेणी आदि के मामले में उस पात्रता को कम नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर वे उस समय तक, जब तक सामान्यतौर पर उच्चतर पात्रता के लिए हकदार नहीं हो जाते, पूर्व के आदेश द्वारा ही शासित होते रहेंगे।

5. 1 जुलाई, 2017 को अथवा उसके पश्चात् की गई यात्रा के संबंध में प्रस्तुत किए गए दावों के संबंध में इन आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। 1 जुलाई, 2017 से पूर्व की गई यात्राओं से संबंधित उन दावों पर 01.12.2008 के पिछले आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

6. यह नोट किया जाए कि दैनिक भत्ते की पात्रता में संशोधन के लिए कोई अतिरिक्त निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी यात्रा की अनुमति विवेकपूर्ण ढंग से दी जाए और इन्हें केवल नितान्त अनिवार्य सरकारी आवश्यकताओं तक ही सीमित रखा जाए।

7. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

8. कृपया पावती दें।

(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक वित्त (स्थापना)
रेलवे बोर्ड